



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ पीठ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 4676 वर्ष 2026

रवि

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव गृह, लखनऊ।

.....विपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : नरेन्द्र गुप्ता

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परीशीलन किया।

आवेदक की ओर से यह वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र, थाना- लहरपुर, जिला- सीतापुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या- 312 वर्ष 2020, अंतर्गत धारा- 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (एतस्मिनपश्चात् 'अधिनियम 1986' के रूप में संदर्भित) में विचारण के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने के प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उनके द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि गैंग चार्ट/गिरोह तालिका में आवेदक के विरुद्ध दो मामलों को दर्शाया गया है, जिनमें उसे जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इस प्रकरण के अतिरिक्त आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।

यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदक के विरुद्ध लोक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने तथा अनुचित सामायिक, धन संबंधी, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के आरोप अस्पष्ट एवं गढ़े हुए हैं। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण यह स्पष्ट करता है कि आरोप लंबित आपराधिक प्रकरण पर आधारित हैं, न कि किसी नए आरोप या किसी ऐसे तथ्य की खोज पर जिसका समाज पर व्यापक रूप से गंभीर प्रभाव पड़ता हो, जिन कारणों से उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 प्रख्यापित किया गया था। उन्होंने आगे जोड़ा कि पुलिस उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उपयोग आवेदक को

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रताड़ित करने और डराने हेतु एक हथियार के रूप में कर रही है, और ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन ने अच्छा कार्य दर्शाने या उच्च अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त करने के उद्देश्य से इस अधिनियम के प्रावधानों का आह्वान किया है, जो कि अनुचित और अवांछनीय है।

अपने तर्कों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक किसी भी असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं है और वह न तो किसी गिरोह का सदस्य है और न ही नेता।

यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक दिनांक 24.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है और वह उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत अपराध का दोषी नहीं है। वह यह वचन देता है कि जमानत पर रहने के दौरान वह कोई अपराध कारित नहीं करेगा, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या साक्षियों को प्रभावित करने का कभी प्रयास नहीं करेगा, जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा। अतः यह निवेदन है कि आवेदक जमानत का अधिकारी है।

इसके विपरीत राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का विरोध किया, किंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि गैंग चार्ट/गिरोह तालिका में उल्लिखित मामले में आवेदक जमानत पर है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात, यह दर्शित होता है कि आवेदक दिनांक 24.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है और आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उसने यह वचन दिया है कि वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों, आरोप की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, दंड के सुधारात्मक सिद्धांत तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश के दृष्टिगत और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत का उपयुक्त प्रकरण पाता हूँ।

उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदक- रवि को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (1) आवेदक अन्वेषण या विचारण के दौरान साक्षियों को डराकर/धमकाकर या अन्यथा अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (2) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दाखिल करेगा कि जब न्यायालय में साक्षी उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर कोई स्थगन की मांग नहीं करेगा। वह नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के तहत कार्यवाही कर सकता है;
- (3) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) प्रकरण की सुनवाई करने (ii) आरोप विरचित करने और (iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा; तथा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(4) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के तहत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति और आवासीय प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में अवर न्यायालय को जमानत रद्द करने और आवेदक को कारागार भेजने की स्वतंत्रता होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां केवल इस जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण तक ही सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर किसी भी प्रभाव के रूप में नहीं समझा जाएगा।

जून 29, 2026

मयंक

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।